विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उ.प्र.

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र.शासन)
विज्ञान भवन, 9, नबी उल्लाह रोड़, सूरजकुण्ड पार्क
लखनऊ– 226018,

सं.सीएसटी/डी–634 दिनांकः 14 अगस्त, 2020

श्री संजीव चौधरी,
निदेशक, हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लिमिटेड,
इन्दौराबाग मोड़, बक्शी का तालाब,
जिला–लखनऊ, पिन–226202 (उ.प्र.)
सम्प्रति
ग्राम–सेरी, कुन्दनगंज, बछरावॉ, रायबरेली–229303 उ0प्र0
मो0 नं0 8808901234, ईमेल आईडी–info@hindustanbioenegery.net

कृपया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र., के कारण बताओ नोटिस संख्या–सीएसटी/डी–605 दिनॉक 07 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम.ओ.यू. की शर्त संख्या–3, 4, 8, 10, 13, 14, 23, 30 एवं 32 का उल्लंघन करने के आरोपों में मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 को ब्लैक लिस्ट किये जाने हेतु आपसे दिनॉक 14.08.2020 से पूर्व उत्तर की अपेक्षा की गयी थी। आप द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई उत्तर परिषद को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

एम.ओ.यू. के अनुसार परिषद द्वारा सभी शर्तों का पालन किया गया, परन्तु मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा एम.ओ.यू. में उल्लिखित शर्त संख्या–3, 4, 8, 10, 13, 14, 23, 30 एवं 32 का उल्लंघन करते हुये प्रयोगशाला का संचालन किया जा रहा है।

मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा एम.ओ.यू. की शर्तो का उल्लंघन किये जाने एवं की गई अनियमितताओं के दृष्टिगत परिषद द्वारा एम.ओ.यू. के प्रारम्भ की तिथि दिनांक 17 अगस्त, 2010 से मार्च, 2019 तक मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी, लि. के लेखों की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से विशेष सम्परीक्षा करायी गयी। विशेष सम्परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख परिषद के पत्र दिनांक 03.12.2019 से 25.02.2020 तक विभिन्न पत्रों द्वारा मांगे गये, परन्तु मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुरूप अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा परिषद को पूर्ण बैलेन्सशीट न देकर वित्तीय वर्ष 2018–19 तक केवल आय–व्यय का विवरण दिया गया है। विशेष सम्परीक्षा हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी, लि. द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं परिषद तथा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आर.ओ.सी.) को पूर्व में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में व्यापक भिन्नता पायी गयी। अतः परिषद के अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14.03.2020 को मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 को लीगल नोटिस प्रेषित की गयी, जिसका उत्तर निदेशक, मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 के ईमेल पत्र दिनांक 28/29 मार्च, 2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ। आपके उक्त पत्र में दिनांक 28/29 मार्च, 2020 में परिषद को पूर्व में उपलब्ध कराये गये अभिलेख तथा विशेष सम्परीक्षा एवं आर.ओ.सी. को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में व्यापक भिन्नता का समुचित आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्रमशः.....2

अतः ईमेल पत्र दिनांक 28/29 मार्च, 2020 को आधारहीन, असत्य एवं कूटरचित होने के कारण सकारण तथ्यों द्वारा परिषद के अधिवक्ता के पत्र दिनांक 17.04.2020 के माध्यम से स्वीकार योग्य नहीं पाते हुये निस्तारित कर दिया गया।

विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर विभाग से आय छुपाने, प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट का उल्लंघन करते हुए कार्मिकों को फण्ड की सुविधा से वंचित करने, ईएसआई एक्ट एवं मिनिमम वेजेज एक्ट का उल्लंघन करते हुए कम्पनी सेक्रेटरी को कूटरचित बैलेन्सशीट प्रस्तुत कर गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें की गई है।

विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा परिषद एवं आर.ओ.सी.में भिन्न–भिन्न अभिलेख उपलब्ध कराकर धोखाधड़ी की गयी एवं उक्त अभिलेखो द्वारा शासकीय धन का गबन किया गया। उक्त अभिलेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 तक की विशेष सम्परीक्षा के अनुसार मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा एम.ओ.यू. के अनुसार लाभांश का 25 प्रतिशत अनुमानित रू.91,59,550.00 उपलब्ध न कराकर परिषद को वित्तीय क्षति पहुॅचाई गयी है।

उक्त के दृष्टिगत आपके द्वारा कई बार अनुरोध किये जाने पर दिनॉक 11.06.2020 को परिषद कार्यालय में सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. एवं परिषद के अन्य अधिकारियों द्वारा आप और आपके प्रतिनिधि के साथ विस्तृत वार्ता की गई। वार्ता के दौरान आप द्वारा अनुरोध किया गया कि कोविड–19 के कारण सम्प्रति सुचारू रूप से कार्य सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं अतः आप द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान के सापेक्ष रू.15.00 लाख धनराशि एवं लाभांश की अनुमानित अवशेष धनराशि रू.91,59,550.00 के स्थान पर रू.75.00 लाख का 50 प्रतिशत धनराशि रू.37.50 लाख दिनांक 11.06.2020 को ही चेक के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा शेष धनराशि रू.37.50 लाख दो समान किश्तों में जमा किये जाने पर सहमति व्यक्त की। आप द्वारा लाभांश हेतु रू.37.50 लाख एवं विद्युत बिल के सापेक्ष रू.15.00 लाख की धनराशि के दो चेक परिषद को उसी दिन सायंकाल उपलब्ध करा दिये गये, किन्तु अवशेष धनराशि रू.37.50 लाख की प्रथम किश्त रू.18.75 लाख 10 जुलाई, 2020 तक न देकर आर्बिट्रेशन हेतु दिनॉक 09.07.2020 के पत्र द्वारा ईमेल के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया, जिसके क्रम में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही प्रचलित है। इससे स्पष्ट है कि आप द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान न करके प्रकरण को अनावश्यक रूप से उलझाया गया है जिससे आपकी कदाशयता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 की विशेष सम्परीक्षा हेतु भी परिषद द्वारा दिनॉक 19.06.2020 एवं दिनॉक 25.06.2020 के पत्रों द्वारा अभिलेखों हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा अभी तक कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की बैलेन्सशीट तैयार न होने के बहाने लगभग रू.27.00 लाख के लाभांश का भुगतान न कर परिषद को क्षति पहुॅचायी गयी है।

क्रमशः.....3

मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा परिषद को वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपलब्ध करायेगये आय—व्यय के विवरण में 14,73,995 केले के पौधे का उत्पादन दिखाया गया है, जबकि परिषद को दिनॉक 31.12.2018 तक के प्राप्त गेट पास के अनुसार कुल 19,24,569 केले के पौधे परिसर से बाहर निकाले गये। इस प्रकार कुल 4,50,574 केले के पौधे की धोखाधड़ी करते हुये परिसर से बाहर निकाल कर उससे परिषद को होने वाले लाभांश का गबन किया गया है।

मे. हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 द्वारा बिजली की खपत में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में परिषद द्वारा विभागीय जांच करायी गयी, जिसमें पाया गया कि प्रक्षेत्र पर परिषद की कोई भी गतिविधि नियमित रूप से संचालित नहीं होती है। प्रक्षेत्र में विद्युत की खपत मुख्यतः टिश्यू कल्चर लैब की गतिविधियों हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी, लि. द्वारा ही की जाती है। जांच में पाया गया कि वर्ष 2011 से 2019 के मध्य मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि. द्वारा रू.81,42,615.00 की धनराशि विद्युत मद में परिषद को उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के स्थान पर ट्रांसफर से सीधे केबिल डालकर विद्युत आपूर्ति लेते हुये विद्युत की चोरी एवं धोखाधड़ी की जा रही थी, तत्क्रम में जांच निष्कर्षों के आधार पर परिषद पत्र संख्या—सीएसटी/डी—178, दिनांक 22.04.2019 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी। मे. एच.बी.एल. द्वारा दिनांक 02.05.2019 को उक्त धनराशि में से रू.10,00,000.00 अण्डर प्रोटेस्ट परिषद को उपलब्ध करायी गयी। कारण बताओ नोटिस के संबंध में आपका प्रत्यावेदन आधारहीन, असत्य एवं कूटरचित पाते हुए सकारण तथ्यों द्वारा परिषद के अधिवक्ता के पत्र दिनांक 17.04.2020 द्वारा निरस्त कर दिये जाने की दशा में मे. एच.बी.एल. द्वारा विद्युत मद में रू. 15.00 लाख की धनराशि दिनांक 17.06.2020 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से परिषद को उपलब्ध करा दी गयी है, परन्तु रू.56,42,615.00 की धनराशि अभी तक परिषद को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस प्रकार मे.एच.बी.एल. द्वारा टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला से हुई आय में से परिषद का वित्तीय वर्ष 2019—20 तक का अनुमानित लाभांश रू.81,09,550.00, विद्युत मूल्य रू. 56,42,615.00 एवं 4,50,574 केले के पौधों का लाभांश परिषद को न देकर कूटरचित अभिलेखों एवं धोखाधड़ी द्वारा उक्त धनराशि का अपवंचन किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक अनुरोध के बाद भी आप द्वारा अभी तक परिषद को अपना वास्तविक एवं स्थाई पता उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे आपकी कदाशयता स्पष्ट प्रमाणित है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मे. एच.बी.एल. के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने, परिषद द्वारा बार—बार मांगे गये अभिलेख उपलब्ध न कराने, फर्जी कूटरचित अभिलेख परिषद एवं आर.ओ.सी. को उपलब्ध कराने, फर्जी एवं कूटरचित अभिलेखों के आधार पर परिषद(प्रथम पक्ष) को भारी वित्तीय क्षति पहुॅचाने, आयकर, कर्मचारी वीमा नियमों एवं श्रम आदि कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

क्रमशः.....4

अतः एतद्द्वारा उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा आपकी कम्पनी मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी, लि., इन्दौराबाग मोड़, बक्शी का तालाब, जिला– लखनऊ, पिन–226202 (उ.प्र.) **सम्प्रति** ग्राम– सेरी, कुन्दनगंज, बछरावॉ, रायबरेली– 229303 उ0प्र0 मो.नं. 8808901234, ईमेल आईडी– info@hindustanbioenegery.net को तत्काल प्रभाव से भविष्य के लिये प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला जाता है।

(आई.डी.राम)
सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन स्तर से प्रदेश के समस्त विकास विभागों, आई.टी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, सीएसआईआर आदि सम्बन्धित मंत्रालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, महानिदेशक, विप्रौप को महानिदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ. प्र.।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र. सरकार।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोटेक पार्क, सेक्टर– जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
6. कुलपति कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा/झांसी/बी.एच.यू./सुआस्ट, प्रयागराज।
7. निदेशक,एन.बी.आर.आई./सीमैप/आई.आई.टी.आर./सी.डी.आर.आई./आई.आई.एस. आर./सी.आई.एस.एच./सी.एस.एस.आर.आई./एन.बी.एफ.जी.आर., लखनऊ।
8. निदेशक, स्टेट हार्टिकल्चर मिशन, उ.प्र., लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
10. श्रीमती पूजा यादव, संयुक्त निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 एवं कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ. प्र.।

(आई.डी.राम)
सचिव